



Neutral Citation No. - 2026:AHC:49467

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी संख्या - 585/2026

हरीश चंद्र सिंह

----- याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

----- प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अशोक कुमार मिश्रा, गोपाल कृष्ण, मयंक बाबू मिश्रा

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : मुख्य स्थाई अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 54

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक,

1. प्रारंभ में, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तहसील खागा, जिला फतेहौर के चकबन्दी बंदोबस्ती अधिकारी को प्रतिवादी संख्या 3 के रूप में शामिल करने का अनुरोध किया और उन्हें इसकी अनुमति दी गई।
2. यह रिट याचिका निम्नलिखित राहतों की मांग करते हुए दायर की गई है:-
 - I. उमेदपुर माजरे तेनी गांव, परगना-हाथगाम, तहसील-खागा, जिला-फतेहपुर में स्थित गटा संख्या 245, क्षेत्रफल 1.1920 हेक्टेयर में मौजूदा खतौनी में मकान का निर्माण रोकने के लिए प्रतिवादी संख्या 2 को आदेश, निर्देश या परमादेश जारी किया जाए।
 - II. उमेदपुर माजरे तेनी गांव, परगना-हाथगाम, तहसील-खागा, जिला-फतेहपुर में स्थित गटा संख्या 245, क्षेत्रफल 1.1920 हेक्टेयर में मौजूदा खतौनी में मकान का निर्माण रोकने के लिए दिनांक 29.12.2025 को दिए गए अभ्यावेदन पर प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष लंबित रहने का आदेश, परमादेश जारी किया जाए, जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 को मकान का निर्माण रोकने का निर्देश दिया जाए। (इस रिट याचिका का अनुलग्नक संख्या 1)।

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. काफी विचार-विमर्श के बाद, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने केवल प्रार्थना संख्या ॥ पर जोर दिया है।
4. यह निवेदन किया गया है कि विपक्षी निजी पक्षकार चकबंदी प्रक्रिया के दौरान विवादित भूखंड पर अवैध निर्माण कर रहे हैं। वर्तमान याचिकाकर्ता द्वारा दायर शिकायत अभी भी चकबंदी बंदोबस्ती अधिकारी के समक्ष विचाराधीन है।
5. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि वर्तमान याचिकाकर्ता की शिकायत का उचित निवारण चकबंदी बंदोबस्ती अधिकारी द्वारा किया जा सकता है और उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, यदि याचिकाकर्ता द्वारा दायर नए अभ्यावेदन पर प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा इस न्यायालय द्वारा निर्देशित एक निर्धारित अवधि के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया जाए।
6. उपरोक्त संदर्भ में, इस मामले को लंबित रखने से कोई लाभ नहीं होगा, इसलिए न्यायालय इस रिट याचिका का अंतिम निस्तारण करना उचित समझता है, मामले के गुण दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, जैसा कि इस रिट याचिका में उल्लेख किया गया है, और यह निर्देश देता है कि याचिकाकर्ता को इस याचिका में उल्लिखित अपनी शिकायत के संबंध में प्रतिवादी संख्या 2 को इस रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति के साथ आज से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर एक नई शिकायत प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता है, जो उक्त शिकायत पर कानून के अनुसार शीघ्रता से, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर विचार और निर्णय करेगी।
7. उपरोक्त टिप्पणी/निर्देश के साथ, इस रिट याचिका का अंतिम निस्तारण किया जाता है।

(दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति)

11 मार्च, 2026

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।